पत्रांकः 737 /030/एच/वि0 एवं ले0/98
दिनांकः 27 फरवरी, 2008

कार्यालय आदेश

पूँजीगत/गैरपूँजीगत व्यय से सम्बन्धित कय हेतु परियोजना समन्वय इकाई स्तर निम्न प्रकिया अपनाई जायेगीः–

1. रू0 2,500/– तक मूल्य की सामग्री के कय हेतु कोटेशन/टेण्डर आदि आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. रू0 2,500/– से अधिक किन्तु रू0 15,000/– से अनधिक मूल्य की सामग्री न्यूनतम तीन कोटेशन आमंत्रित कर कय की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में अभीष्ट प्रस्ताव की प्रारम्भिक कार्यवाही यथा मांग–पत्र आदि सम्बन्धित प्रभाग द्वारा की जायेगी। उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के दर अनुबन्ध पर कोई भी वस्तु तभी कय की जाये जबकि अन्य रिस्पोन्सिव कोटेशनों की तुलना में वह न्यूनतम हो।

3. (अ) रू0 15,000/– से अधिक मूल्य की सामग्री के कय हेतु टेण्डरिंग की निर्धारित प्रकिया अपनाई जायेगी।

   (ब) डी0जी0एस0 एण्ड डी0 का दर अनुबन्ध उपलब्ध होने पर उक्त कय की कार्यवाही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अनुबन्ध पर की जा सकती है।

   (स) अमेरिकी डॉलर 20,000/– से अधिक मूल्य की सामग्री कय किये जाने की स्थिति में प्रथम चरण के प्रोजेक्ट एप्रेज़ल डाक्यूमेण्ट के परिशिष्ट–6 के अन्तर्गत विश्व बैंक की निर्धारित बिडिंग प्रकिया (एन0सी0बी0/आई0सी0बी0) के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. विशेष प्रकार के उपकरण अथवा किसी उपकरण के पुर्जे सीधे निर्माता फर्म द्वारा कय किये जाने की दशा में 'डायरेक्ट कान्ट्रैक्टिंग' के अन्तर्गत कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये जाने आवश्यक नहीं होंगे परन्तु यदि वे उपकरण या पुर्जे फर्म के अधिकृत विकेताओं के माध्यम से कय किये जाने हों तो उस फर्म के दो तीन अधिकृत विकेताओं से कोटेशन प्राप्त कर उपकरणों की दरों का तुलनात्मक परीक्षण कर कय की कार्यवाही की जायेगी।

5. संचार संयत्र, कम्प्यूटर्स, वैज्ञानिक संयत्र एवं लिक्विड नाइट्रोजन कन्टेनर आदि का कय विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

6. उत्तर प्रदेश शासन के विभागाध्यक्ष के समतुल्य अधिकार परियोजना समन्वयक में निहित होंगे। साथ ही सम्बन्धित मद में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से स्वीकृत बजट उपलब्ध होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु–1 में वर्णित सीमा के ऊपर के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार परियोजना समन्वयक में निहित होगा। तदुपरान्त अमेरिकी डॉलर 20,000/– तक के क्रय की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित क्रय समिति–I की संस्तुति पर परियोजना समन्वयक के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी जिसके क्रम में अभीष्ट क्रय के पश्चात् वित्तीय स्वीकृति का अधिकार परियोजना समन्वयक में निहित होगा।

7. अमेरिकी डॉलर 20,000/– के ऊपर सामग्री की प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार परियोजना समन्वयक से प्राप्त करते हुये क्रय की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित उच्चाधिकार सम्पन्न क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी जिसके क्रम में अभीष्ट क्रय के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति का अधिकार परियोजना समन्वयक में निहित होगा।

8. क्रय समिति के माध्यम से क्रय की कार्यवाही किये जाने हेतु क्रय प्रस्ताव उपार्जन प्रभाग द्वारा बनाते हुये क्रय की आवश्यकता/परिमाण आदि विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित तकनीकी प्रभाग का मंतव्य प्राप्त किया जायेगा। तदुपरान्त प्रस्ताव पर बजट एवं प्राविधान आदि का परीक्षण वित्त एवं लेखा प्रभाग द्वारा करते हुये सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

परियोजना समन्वय इकाई स्तर पर क्रय समिति का गठन

रू0 15,000/– से अधिक एवं अमेरिकी डॉलर 20,000/– से अनधिक के मूल्य की सामग्री का क्रय निम्नलिखित समिति की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा:–

I.

तकनीकी समन्वयक	अध्यक्ष
वित्त एवं लेखा प्रभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
वरिष्ठ प्रबन्धक (उपार्जन)	सदस्य/सचिव
सम्बन्धित प्रभाग के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य	सदस्य

II. अमेरिकी डॉलर 20,000/– से अधिक मूल्य की सामग्री हेतु निम्न उच्चाधिकार सम्पन्न क्रय समिति अधिकृत होगी:–

परियोजना समन्वयक	अध्यक्ष
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
वित्त एवं लेखा प्रभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
वरिष्ठ प्रबन्धक (उपार्जन)	सदस्य/सचिव

सम्बन्धित प्रभाग के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य	सदस्य

III. कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही किये जाने पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 के प्रतिनिधि समिति के अनिवार्य सदस्य होंगे।

9. प्रथम चरण में विभिन्न उपार्जन विधियों हेतु कट–ऑफ लिमिट्स डॉलर मूल्य में निर्धारित थी अतः द्वितीय चरण में कट–ऑफ लिमिट्स निर्धारण के लिये अमेरिकी डॉलर से भारतीय रूपये में परिवर्तन हेतु डॉलर का एक्सचेन्ज रेट उपार्जन के समय प्रभावी दर पर लिया जायेगा।

प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन

I. रू0 2,500/– तक की सामग्री के क्रय का प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रबन्धक (प्रशासन) में निहित होगा।

II. रू0 2,500/– से अधिक मूल्य के क्रय का प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी उपरोक्त बिन्दु 6 एवं 7 के अनुसार होंगे।

उक्त ओदश कार्यकारिणी समिति, डास्प की दिनांक 22.01.2008 को सम्पन्न 20वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं व तत्काल प्रभावी माने जायेंगे।

(एम0 देवराज)
परियोजना समन्वयक
डास्प

पृष्ठांकन: 737/030/एच/वि0 एवं ले0/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, डास्प को अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, समन्वय, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अधिकारी, पी0सी0यू0, डास्प।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक, उपार्जन।
6. गार्ड फाइल।

(एम0 देवराज)
परियोजना समन्वयक
डास्प